

उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या-भा०श०-18 / 43-2-2009
लखनऊ: दिनांक 30-09-2009

कार्यालय-ज्ञाप

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/20/2009-आई0आर0 दिनांक 23 जून, 2009 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 जून, 2009 द्वारा भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी फाइल नोटिंग जिसमें अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत प्रकरण से छूट प्राप्त सूचना निहित है, को छोड़ कर फाइल नोटिंग का प्रकटन किया जा सकता है।

संलग्नक-यथोपरि

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।

संख्या भा०श०-18/43-2-2009, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव श्रीराज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2-प्रमुख सचिव/सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4-प्रमुख स्टाफ आफीसर, मन्त्रिमण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5-प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6-सचिव, राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश।
- 7-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 8-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
(रामचन्द्र यादव)
अनु सचिव।

1/10/09
(नेन्द्र सिंह रावत)
विशेष सचिव, न्याय एवं
अपर विधि परामर्शी
३० प्र० अ०

54

सं. 1/20/2009-आइ.आर. 18/43-2009

सं. 1/20/2009-आइ.आर.

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

SL-3

सं. 2056 / सूचना / चयन का अधिकार / 2009

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 23 जून, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 'फाइल नोटिंग' का प्रकटन ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालय/विभाग आदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत फाइल नोटिंग के प्रकटन के बारे में स्पष्टीकरण मांगते रहे हैं । एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है ऐसी फाइल नोटिंग जिसमें अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना निहित है, को छोड़कर फाइल नोटिंग का प्रकटन किया जा सकता है ।

प्रतिकृति

सूचना अधिकार से संबंधित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

सं. 1/20/2009-आइ.आर.

15.7.2009
(बंधु बहादुर सिंह)
सि. नि. सचिव/क. प्र. म.

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

भवदीय,

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

उप सचिव
58/50

- संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग ।
- केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
- कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
- सभी अधिकारी/डैस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।

Pr-co-ordinate list

15/7/09

प्रतिलिपि :- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।